न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
20 / 24	एफएसएस एक्ट, 2006	01 / 07 / 2024

बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।

–आवेदक

बनाम

1. श्री गौरव मित्तल पुत्र श्री खेमराज मित्तल (विक्रेता) मैसर्स विन्दल स्टोर नया बाजार गंगापुर सिटी 322201 निवासी नहर रोड शुक्ला कॉलोनी गंगापुर सिटी 322201
2. श्री खेमराज मित्तल पुत्र श्री विन्दलराम मित्तल (प्रोपराईटर) मैसर्स विन्दल स्टोर नया बाजार गंगापुर सिटी निवासी नहर रोड शुक्ला कॉलोनी गंगापुर सिटी 322201
3. श्री जितेन्द्र बाबू लवानियॉ पुत्र श्री हरि बाबू लवानियॉ मैसर्स श्री सांई मसाले वाले आर.के.मार्बल के पीछे ,अग्रसेन नगर ,भरतपुर राजस्थान 321001 निवासी 50, एकता बिहार कॉलोनी, सॉख रोड भरतपुर 321001

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)

निर्णय दिनांक. 28.08.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 18.10.23 को समय 04:40 पी0एम0 पर फर्म विन्दल स्टोर नया बाजार गंगापुर सिटी पर पहुंचा मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिससे अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम गौरव मित्तल पुत्र श्री खेमराज मित्तल होना बताया एवं फर्म का विक्रेता एवं खेमराज मित्तल पुत्र श्री विन्दलराम मित्तल को फर्म का प्रोपराईटर होना बताया। गौरव मित्तल ने फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र एवं आधार कार्ड दिखाया जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विकय हेतु **Red Chilli Powder (Teja)** दुकान में रखे थे। **Red Chilli Powder (Teja)** में गुणवक्ता /मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते जांच हेतु 500 ग्राम के 4 मूल पैकिट **Red Chilli Powder (Teja)** खरीदकर उसकी कीमत 560/–रू0 विकेता को नगद अदाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ 500 ग्राम के 4 पैकिट **Red Chilli Powder (Teja)** मूल ही लेकर चार नमूना भाग तैयार कर तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया और लेबलो पर अभिहित अधिकारी से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक एच 3053 दर्ज किया। प्रत्येक नमूना भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को लेकर भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लेपटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप नं0 एच–3053 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर निचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागें से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया । प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेफर दोनो पर आवे एव सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हसतक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारो नमूने भागों को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहन को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहां ,जिसे श्री गौरव मित्तल ने भी पढकर सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक नमूना जिसे नमूना सील करके ।एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर

अतिरिक्त जिला
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेष राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं० 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर नमूनो से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं० 6 की पुरत पर रसीद प्राप्त की, शेष दो सील बन्द नमूना मय मय फार्म सं० 6 की प्रति के सी०ओ० (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सी०ओ० एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2023/1118 दिनांक 06.11.2023 के द्वारा ज्ञात प्राप्त हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/4264/एफट/2023/4316 दिनांक 27.10.23 के 19/21 विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ असुरक्षित प्रकृति का पाया गया। विक्रेता द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रार्थना पत्र मे नमूने की पुनः जांच हेतु आवेदन पर अभिहित अधिकारी द्वारा रेफरल फुड लेबोरेट्री मैसूर भेजा गया। वहां से प्राप्त जांच सर्टिफिकेट नं० **FT/AQCL/FSSA(132F)/2024** दिनांक 27.03.2024 के अनुसार उक्त खाद्य नमूना **Red Chilli Powder (Teja)** अवमानक प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण मे रेफरल फुड लेबोरेट्री मैसूर भेजा गया। वहां से प्राप्त जांच सर्टिफिकेट नं० **FT/AQCL/FSSA(132F)/2024** दिनांक 27.03.2024 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 मे जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियुक्त ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार मिर्ची के उत्पाद मे दोष्य पद कम बताया गया है। जिसे **Non-volatile ether extract NOT LESS THAN 12.0** होना चाहिए जो कि 10.30 आया है। अभियुक्त ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया कि हम अपने साबुत मिर्ची की खरीद अच्छी गुणवत्ता को नजर मे रखते हुए करते है और इसको बनाने मे जो खाद्य सुरक्षा के नियम व निर्देश है उसकी पालना करते है। आगे से कोई भी त्रुटि न हो ऐसा प्रयास किया जावेगा, साथ ही अभियुक्त ने उक्त प्रकरण मे कार्यवाही ड्राप करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया साथ ही पत्रावली मे संलग्न रेफरल फुड लेबोरेट्री मैसूर भेजा गया। वहां से प्राप्त जांच सर्टिफिकेट नं० **FT/AQCL/FSSA(132F)/2024** दिनांक 27.03.2024 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ अवमानक प्रकृति का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। जिसे अभियुक्तगण ने स्वयं स्वीकार किया है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं० 1 व 2 को संयुक्त रूप से 25000 (पच्चीस हजार) रू० तथा अभियुक्त सं० 3 को 80000 (अस्सी हजार) रू० की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी मे पेश करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति मे आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी